

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा श्रीगंगानगर

क्रमांक - जिशिअ/प्राशि/गंगा/मान्यता/13/ 60

दिनांक - 10.5.13

(आर.टी.ई. एक्ट के अन्तर्गत पुनः पंजीयन)

मान्यता कोड संख्यांक 0037

प्रबन्धक,

ओएसिस प्राईम ऐज्युकेशनल इन्सिट्यूट।

सूरतगढ़।

विषय - निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम II के उप नियम (4) के अधीन विधालय का मान्यता प्रमाण -पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 20.02.13 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विधालय के साथ पश्चात्पूर्ति पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से सूरतगढ़ पब्लिक स्कूल अनूपगढ़ रोड़,अमरपुरा (अंग्रेजी माध्यम) को कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्वधीन है :-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विधालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विधालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ौस के कमजोर वर्गों और अलाभप्रद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विधालय को अधिनियम की धारा-12 (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विधालय एक प्रथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विधालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
6. विधालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
7. विधालय सुनिश्चित करेगा कि :-

(I) प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को, विधालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(II) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।

(III) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(IV) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

(V) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निःशुक्लता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।

(VI) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (I) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(VII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (I) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रा.शि., श्रीगंगानगर

(VIII) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विधालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विधालय अधिनियम की धारा -19 के अधिकथित, विधालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
10. विधालय अधिनियम की धारा-19 में यथानिर्दिष्ट विधालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं :-
विधालय परिसर का क्षेत्र **36060 वर्गमीटर**
कुल निर्मित क्षेत्र **24000 वर्गफुट**
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल **23000 वर्गमीटर**
कक्षा कमरों की संख्या **8**
प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह -भंडार कक्ष **1**
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय **6**
पेयजल सुविधा **उपलब्ध**
मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई **नहीं**
बाधा रहित पहुंच
अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता
11. विधालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विधालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।
12. विधालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
13. विधालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
14. विधालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
15. विधालय के लेखाओं की चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, श्रीगंगानगर को भेजी जानी चाहिए।
16. आपके विधालय को आवंटित **मान्यता कोड संख्यांक 0037** है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
17. विधालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/ जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा श्रीगंगानगर द्वारा अपेक्षित हों और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सत्त, अनुपालना को सुनिश्चित करने या विधालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाएँ।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाएँ।
19. संलग्न उपाबन्ध- III के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रा० शि० श्रीगंगानगर
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रा.शि., श्रीगंगानगर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा श्रीगंगानगर

क्रमांक-जि.शि.अ./प्रा.शि./गंगा/मान्यता/2014/113

दिनांक- 13-08-2014

प्रबंधक,

ओएसिस प्राईम ऐज्युकेशनल इन्सिट्यूट,
सूरतगढ़।

मान्यता कोड संख्यांक- 0037

विषय:- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण-पत्र।

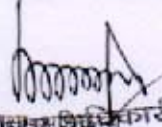
महोदय

आपके दिनांक 05.08.2014 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं सूरतगढ़ पब्लिक स्कूल, अनूपगढ़ रोड अमरपुरा, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (माध्यम अंग्रेजी) को दिनांक 24.08.2014 से 24.08.2017 तक कक्षा 6 से 8 तक के लिए अंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विद्यमान नहीं है।
2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और अलामप्रद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा - 12(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी सक्लीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण-पत्र न होने के कारण प्रवेश से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि:-
 - (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम - 23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नि:शक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की नती अधिनियम की धारा 23 (i) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परंतु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा.शि.) श्रीगंगानगर

- (VII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (i) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
- (VIII) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा - 19 के अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा - 19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन में की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-
- विद्यालय परिसर का क्षेत्र - 36080 वर्ग मीटर
- कुल निर्मित क्षेत्र - 30000 वर्ग फुट
- क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल - 150000 वर्ग फुट
- कक्षा कमरों की संख्या - 32
- प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय-सह-भंडार कक्ष - 06
- बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय - 30
- पेयजल सुविधा- उपलब्ध है।
- मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई- उपलब्ध है।
- बाधा रहित पहुंच- उपलब्ध है।
- विद्यालय के परिसर के भीतर/क्रीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता।
11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेंगी।
12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
14. विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
15. विद्यालय के लेखाओं की चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, श्रीगंगानगर को भेजी जानी चाहिए।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 0037 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, श्रीगंगानगर द्वारा अपेक्षित हों और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत, अनुपालना को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
19. संलग्न उपायन्ध- III के अनुसार अन्य कोई शर्त।


जिला शिक्षा अधिकारी
श्रीगंगानगर